



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

Date: 06.2011

Pension 14/I/2011-12/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authority regarding:
1. Retirement benefits to Pensioners/Family pensioners in respect of
Judicial Officers.

Ref: Office of the Accountant General (A&E), Rajasthan Jaipur, Special
Seal Authority No:
1. PA/Order/10-11/5916/ dated 25.03.2011.

* * *

I am herewith enclosing a copy of letter issued by the Office of the Accountant General (A&E), Rajasthan Jaipur, in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

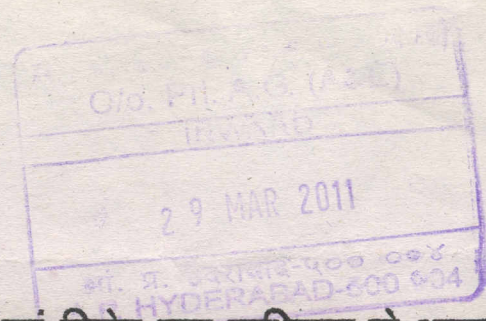
Yours faithfully,

Vivek Rame Kumar

Senior Accounts Officer

9/6/2011

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.



रजिस्टर्ड एवं विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर

पीए/आदेश/10-11/ 5916

दिनांक:- 25/3/11

महालेखाकार (लेखा एवं हक.),

आ. नं. 9621

ए. नं. 500004

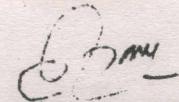
विषय:- Retirement benefits to pensioners/Family Pensioners in Respect of judicial officers

महोदय,

उपर्युक्त विषय में विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के पत्रांक प-26 (12) न्याय/2009 दिनांक 24.2.11 से प्राप्त आदेश जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/पारिवारिक पेंशनर्स को देय Domestic Help Allowance के संबंध में है, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। कृपया आपके अधीन समस्त भुगतान अधिकारियों को प्रेषित करने का श्रम करें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,


व. लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
विधि एवम् विधिक कार्य विभाग
(न्याय प्रकोष्ठ)

क्रमांक: प. 26 (12) न्याय/2009

दिनांक:- १५ फरवरी २०११

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन -बनाम- यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 2-8-2010 सपठित ई. पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 21/2011 दिनांक 09.02.2011 के क्रियान्वयन में इस विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 3-5-2010 को अतिष्ठित करते हुए, महामहिम राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि राजस्थान न्यायिक सेवा व राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारीगण को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त दिनांक 1-1-2006 से रुपये 2,500/- प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के पारिवारिक पेंशन धारक को रुपये 1,000/- प्रतिमाह Domestic Help Allowance अनुज्ञेय होगा।

सेवानिवृत्त अधिकारी/पारिवारिक पेंशन धारक को भुगतान से पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिमाह सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी/शाखा प्रबन्धक, बैंक, जहाँ से पेंशन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, को प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा यह राशि इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई है, किन्तु दिनांक 01.01.2006 से यह आदेश जारी होने के पूर्व के माह तक के बकाया भुगतान हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी पारिवारिक पेंशन धारक द्वारा संबंधित अवधि में घरेलू नौकर नियोजित किये जाने के संबंध में नियोजन की अवधि का अंकन करते हुए एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आदेश वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 101004444 दिनांक 30.12.2010 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(एस.डी. टाक)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- 2- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।